



भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक स० 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोधीरोड, नई दिल्ली – 110003

Government of India,
Min. of Personnel, Public Grievances &
Pensions,
Dept. of Training and Personnel,
Staff Selection Commission
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110003

(आयोग की वेबसाइट (<https://ssc.nic.in>) पर दिनांक 24-11-2023 को प्रकाशित)

विज्ञप्ति

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और असम राइफल्स में राइफलमैन (सामान्य ड्यूटी) परीक्षा, 2024

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि	24-11-2023 से 31-12-2023
ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि और समय	31-12-2023 (23:00 बजे)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने के लिए अंतिम तिथि और समय	01-01-2024 (23:00 बजे)
‘आवेदन-पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो’ एवं सुधार राशि के ऑनलाईन भुगतान की तिथियां	04-01-2024 से 06-01-2024 (23:00 बजे)
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का कार्यक्रम	फरवरी-मार्च, 2024

“सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है”

फा.सं. नी.यो. 103/17/2023- नी. एवं यो-1 - गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित भर्ती योजना तथा गृह मंत्रालय और कर्मचारी चयन आयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग सीमा सुरक्षा बल (सी.सु.ब.), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (के.औ.सु.ब.), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (के.रि.पु.ब.), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (भा.ति.सी.पु.ब.), सशस्त्र सीमा बल (स.सी.ब.), सचिवालय सुरक्षा बल (स.सु.ब.) में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी), और असम राइफल्स में राइफलमैन (सामान्य ड्यूटी) के पदों पर भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगा। इस भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई), शारीरिक क्षमता परीक्षा (पीईटी), शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (पीएसटी), चिकित्सा परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन होंगे। इस भर्ती की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- 1.1 इस परीक्षा का विज्ञापन गृह मंत्रालय द्वारा सूचित रिक्तियों के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किया जाएगा।

- 1.2 आवेदन केवल आनलाइन माध्यम के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे।
- 1.3 आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) अंग्रेजी, हिंदी और 13 क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात (i) असमिया, (ii) बांग्ला, (iii) गुजराती, (iv) कन्नड़, (v) कोंकणी, (vi) मलयालम, (vii) मणिपुरी, (viii) मराठी, (ix) ओड़िया, (x) पंजाबी, (xi) तमिल, (xii) तेलगु, और (xiii) उर्दू में आयोजित की जाएगी।
- 1.4 शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (पीएसटी) / शारीरिक क्षमता परीक्षा (पीईटी), विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) / पुनरीक्षण चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) का कार्यक्रम और उसका आयोजन के.स.पु.बल द्वारा किया जाएगा।
- 1.5 अभ्यर्थियों से वांछित योग्यता प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों का संग्रहण और उनका सत्यापन के.स.पु.बल द्वारा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के दौरान किया जाएगा।
- 1.6 स.सु.ब. में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) की रिक्तियां अखिल भारतीय आधार पर भरी जाएंगी, जबकि अन्य सभी के.स.पु. बल में रिक्तियां विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार भरी जाएंगी। इसके अलावा, सीमावर्ती रक्षक जिलों और नक्सल प्रभावित जिलों के लिए रिक्तियां निर्धारित की गई हैं जो केवल इन जिलों के अभ्यर्थियों के लिए ही आरक्षित हैं।
- 1.7 नक्सल प्रभावित जिलों तथा सीमावर्ती रक्षक जिलों के नामों की सूची अनुबंध-XI और अनुबंध-XII में दी गई है।
- 1.8 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर आयोग द्वारा अंतिम परीक्षा परिणाम और बल आवंटन किया जाएगा, यह उनके शारीरिक मापदंड परीक्षा, शारीरिक क्षमता परीक्षा, चिकित्सा परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने और परीक्षा विज्ञप्ति में शामिल अन्य शर्तों के अधीन होंगे।
- 1.9 परीक्षा की विज्ञप्ति, कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन तथा योग्यता सूची तैयार करने और चयनित अभ्यर्थियों के बल आवंटन से संबंधित न्यायिक मामलों / आरटीआई / लोक शिकायतों पर क.च.आ. द्वारा कार्रवाई की जाएगी तथा अन्य सभी मामलों, जैसे परीक्षा की रूप रेखा, रिक्तियों की संख्या, पीईटी / पीएसटी का आयोजन, डीएमई / आरएमई, दस्तावेज सत्यापन आदि पर कार्रवाई के.स.पु.ब से समन्वय करके की जाएगी।
- 1.10 परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेशपत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट और साथ ही के.रि.पु.ब. की वेबसाइट अर्थात <https://www.crfp.gov.in> पर प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा प्रक्रिया की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट अर्थात <https://www.ssc.nic.in>, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों और नोडल के.स.पु.ब. अर्थात के.रि.पु.ब. की वेबसाइट का अवलोकन करें और परीक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर लें।

2 **वेतनमान:** वेतन स्तर- 3 (रु. 21,700-69,100) .

3. **रिक्तियाँ :** रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार हैं :-

बल	पुरुष						महिला						सकल योग
	अजा	अजजा	अपिव	आकव	अना	योग	अजा	अजजा	अपिव	आकव	अना	योग	
सीसुब	735	467	1028	1025	1956	5211	138	83	199	181	362	963	6174
केऔसुब	1506	974	2196	1086	4151	9913	164	103	244	125	476	1112	11025
केरिपुब	461	294	688	509	1314	3266	2	1	13	10	45	71	3337
ससीब	103	45	125	94	226	593	16	1	6	0	19	42	635
भातिसीपु	380	306	523	285	1200	2694	74	54	99	38	230	495	3189
असम राइफल्स	116	252	156	235	689	1448	3	0	3	15	21	42	1490
स.सु.बल	33	16	60	23	90	222	11	6	20	7	30	74	296
योग	3334	2354	4776	3257	9626	23347	408	248	584	376	1183	2799	26146

- 3.1 ये रिक्तियाँ अनंतिम हैं। रिक्तियों की संख्या में किसी भी परिवर्तन के बारे में आयोग की वेबसाइट के जरिए सूचित किया जाएगा।
- 3.2 भूतपूर्व सैनिकों (भूपूसै.) के लिए 10% रिक्तियाँ आरक्षित है। यदि उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं होते हैं तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों को संबंधित श्रेणियों के गैर- भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी।
- 3.3 चूंकि के.स.पु.बल में रिक्तियाँ संबंधित राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित की गई हैं, अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चिकित्सा परीक्षा / दस्तावेज सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा उल्लिखित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का अधिवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा तथा अभ्यर्थी को विस्तृत चिकित्सा परीक्षा कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र / स्थायी निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे दस्तावेजों के सत्यापन के समय राज्य संबंधित विवरण में परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी और उसकी अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है कि वे आवेदन पत्र भरते समय अत्यंत सावधानी बरतें।
- 3.4 नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतवर्ष में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है।
- 3.5 चयन के उपरांत अभ्यर्थियों की नियुक्ति विभिन्न के.स.पु.ब. में प्रशिक्षण स्थल की उपलब्धता और रिक्तियों के अधीन है। इसलिए, अभ्यर्थियों को रिक्तियों और साथ ही साथ प्रशिक्षण स्थल की उपलब्धता के अनुसार अलग-अलग चरणों में नियुक्त किया जा सकता है। कार्य ग्रहण और सेवा संबंधी मुद्दें, वरिष्ठता, प्रशिक्षण आदि विभिन्न संगठनों के नियमों व विनियमों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।
- 3.6 आयोग अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद प्रतीक्षा सूची/आरक्षित सूची तैयार या उसका अनुरक्षण नहीं करेगा।

4. **राष्ट्रीयता / नागरिकता** : अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए। रिक्रियां राज्य / संघ राज्य-क्षेत्रवार हैं, अतः अभ्यर्थी अपने राज्य / संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अधिवास / स्थायी निवास प्रमाणपत्र अवश्य प्रस्तुत करें।
5. **आयु सीमा**: 01.01.2024 को 18 से 23 वर्ष। अभ्यर्थी का जन्म 02.01.2001 से पहले और 01.01.2006 के बाद न हुआ हो।

5.1 विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट निम्नानुसार है:

कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य (अनुज्ञेय) छूट
01	अजा / अजजा	05 वर्ष
02	अपिव	03वर्ष
03	भूतपूर्व सैनिक	गणना की तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
04	1984 के दंगों अथवा गुजरात में 2002 के साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए दंगा पीड़ितों के बच्चे और उनके आश्रित (अनारक्षित/ आकव)	05 वर्ष
05	1984 के दंगों अथवा गुजरात में 2002 के साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए दंगा पीड़ितों के बच्चे और उनके आश्रित (अपिव)	08 वर्ष
06	1984 के दंगों अथवा गुजरात में 2002 के साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए दंगा पीड़ितों के बच्चे और उनके आश्रित (अजा / अजजा)	10 वर्ष

5.2 ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई उसी जन्म तिथि को आयोग द्वारा आयु निर्धारण हेतु स्वीकार किया जाएगा जो उसके मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज की गई है और बाद में उसमें किसी भी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा या उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5.3 ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर समूह 'ग' और 'घ' पदों में पहले से ही नियमित आधार पर नौकरी प्राप्त कर ली है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त, 2014 के का.ज्ञा.सं.36034/1/2014-स्था(पुन.) में यथा उल्लिखितानुसार वे उत्तरवर्ती नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि वे सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद उन विभिन्न रिक्रियों, जिनके लिए उन्होंने प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से पहले आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि-वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वतः घोषणा/करता है/करती है/वचन देता है/वचन देती है।

- 5.4 सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।
- 5.5 भूतपूर्व-सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर संशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पदों में पुनर्जगार) नियम, 1979 में पूर्व-सैनिक के रूप में परिभाषित किया गया है और सरकार द्वारा दिनांक 27.02.2023 के डीओपी एंड टी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/3/2021-स्था (रेस.II), के माध्यम से जारी निर्देश, जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार प्रदान करता है:-

“सशस्त्र बल में कार्यरत अभ्यर्थी सिविल पदों पर आवेदन करने के लिए तभी पात्र होंगे जब वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विशेष भर्ती/परीक्षा आदि के संबंध में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर सशस्त्र बल सेवा की निर्धारित अवधि पूरी कर लेंगे। बशर्ते, जब चयन प्रक्रिया में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष से अधिक समय लगता है, तो अभ्यर्थी को भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत केवल इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि उसने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के एक वर्ष के बाद खुद को सशस्त्र बल से मुक्त कर लिया है।”

ऐसे अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि तक जैसा कि आयोग द्वारा परीक्षा विज्ञप्ति में अधिसूचित किया गया है, नियमों के परिशिष्ट-V(क) और V(ख) के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र और वचन पत्र अपने पास रखना आवश्यक है।

5.6 **स्पष्टीकरण :** भूपूसे से आशय उस व्यक्ति से है :-

5.6.1 जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौसेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

- (क) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद या अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा सेवानिवृत्त / कार्यमुक्त/ या सेवामुक्त हुए हों; या
- (ख) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्साआधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य निशक्तता पेंशन दी गई हो; या
- (ग) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो;

या

5.6.2 जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न करके किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक नामतः सतत सेवा या अर्हक सेवा की खंडित पारियों के पेंशन धारक;

या

5.6.3 सेना डाक सेवा के वे कार्मिक जो रेगुलर सेना का भाग हों और थल सेना डाक सेवा से अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बगैर पेंशन के साथ सेवा निवृत्त हुए हों या सशस्त्र सेवा के कारण या उनके

नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से कार्य-मुक्त किए गए हों और उन्हें चिकित्सा या अन्य निशक्तता पेंशन दी गयी हो।

या

5.6.4 कार्मिक, जो 14 अप्रैल, 1987 से पहले छह महीने से अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर सेना डाक सेवा में थे।

या

5.6.5 प्रादेशिक सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता

या

5.6.6 चिकित्सा आधार पर बोर्ड द्वारा कार्यमुक्त किए गए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें निशक्तता पेंशन मंजूर की गयी हो।

5.7 संघ की सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत व्यक्ति जो सेवा से निवृत्त होने के पश्चात "भूतपूर्व सैनिक" की श्रेणी में आएंगे, को सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी करने से एक वर्ष पहले पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन करने तथा भूपू.सै की सभी रियायतों का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु उन्हें तब तक वर्दी (यूनिफार्म) छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वे संघ की सशस्त्र सेनाओं में सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी नहीं कर लेते।

5.8 भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी में भू.पू.सै. नहीं लिखना चाहिए।

5.9 बच्चों से तात्पर्य

5.9.1 पुत्र (दत्तक पुत्र सहित) अथवा

5.9.2 पुत्री (दत्तक पुत्री सहित)

5.10 आश्रित परिवार के सदस्यों से तात्पर्य

5.10.1 पति / पत्नी अथवा

5.10.2 बच्चे अथवा

5.10.3 अविवाहित पीड़ित के मामले में भाई अथवा बहन जो उस पीड़ित व्यक्ति के दंगे में मारे जाने के समय उस पर पूर्णतया आश्रित था / थी, पात्र होगा / होगी। श्रेणी संख्या 04 / 05 / 06, में ऊपरी आयु में छूट के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को इस आशय का संबंधित जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, जहां पीड़ित व्यक्ति मारा गया था, से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6 प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्र का प्रारूप:

6.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने हेतु इच्छुक हैं / अथवा आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के समय दस्तावेज सत्यापन के लिए संबन्धित के.स.पु.ब द्वारा मांगे जाने पर विहित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अन्यथा अजा / अजजा / अपिव / आकव के दर्जे के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता / आवेदन को सामान्य (अना) श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी ने आयु में कोई

- अन्य छूट मांगी है और वह संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसके नाम पर केवल उसकी संबंधित श्रेणी अर्थात् अजा / अजजा / अपिव / आकव / अना. में विचार किया जाएगा। इन प्रमाणपत्रों के प्रारूप परीक्षा की विज्ञप्ति के साथ संलग्न हैं।
- 6.2 एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासन पर एक अभ्यर्थी जो अजा, अजजा या अपिव से संबंध रखता हो, उसे अपना विकल्प सूचित करना होगा कि वह अपने मूल राज्य से आरक्षण का लाभ लेना चाहता है या प्रवासन राज्य से अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में शामिल होना चाहता है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय इस विकल्प का उपयोग करना आवश्यक है। आवेदन फॉर्म जमा होने के बाद ऐसे विकल्प में किसी भी परिवर्तन का अनुरोध आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर अभ्यर्थी अपने मूल राज्य से आरक्षण का लाभ लेना चाहता है तो, उसे आवेदन पत्र में अपने मूल राज्य और जिले की जानकारी और साथ ही, अपने वर्तमान अधिवास राज्य और जिले की जानकारी देनी होगी और उसकी अभ्यर्थिता पर उसके मूल राज्य के लिए विचार किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को अपने मूल राज्य से अधिवासी प्रमाण-पत्र जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
 - 6.3 अजा / अजजा / अपिव / आकव स्थिति या आरक्षण के दावे की निर्णायक तिथि, ऑनलाइन आवेदनपत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।
 - 6.4 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति / समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता/आती है।
 - 6.5 अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज के सत्यापन की पुष्टि नहीं कर ली जाती। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा / अजजा / अपिव / आकव / भू.पू.सै का दावा करते हैं तो उन्हें आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से वारित कर दिया जाएगा।
 - 6.6 किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों पर उनके संबंधित राज्य / संघ शासित क्षेत्र में भर्ती के लिए ही विचार किया जाएगा जिसके लिए उन्हें अपना अधिवासी दर्जा सिद्ध करने के लिए सम्बद्ध राज्य / संघ शासित क्षेत्र द्वारा यथा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध "अधिवास / स्थाई निवासी प्रमाणपत्र" दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसकी अभ्यर्थिता को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का अधिवास / स्थायी निवास प्रमाणपत्र देना चाहिए अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।
 - 6.7 चूंकि असम राज्य अधिवास प्रमाणपत्र / पीआरसी जारी नहीं कर रहा है, इसलिए असम राज्य के अभ्यर्थी को इसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, उनका चयन संबंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा आवास प्रास्थिति के सत्यापन के अध्यक्षीन होगा।
 - 6.8 पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, जो जम्मू व कश्मीर राज्य में बस गए हैं, लेकिन उन्हें जम्मू व कश्मीर राज्य का नागरिक होने का दर्जा नहीं दिया गया है, की भर्ती जम्मू व कश्मीर राज्य के नामित प्राधिकारी से अधिवास प्रमाणपत्र प्राप्त करने की शर्त के बिना की जाएगी। तथापि ऐसे अभ्यर्थियों को अनुबंध-XIII के अनुसार पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी के लिए मूल निवास / पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. शैक्षिक योग्यताएं (दिनांक 01-01-2024 को)

- 7.1 किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन अथवा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।
- 7.2 जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित तारीख को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हासिल नहीं की है, वे पात्र नहीं हैं और वे आवेदन न करें।
- 7.3 भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई तकनीकी शिक्षा डिग्री/डिप्लोमा सहित समस्त डिप्लोमा/डिग्रियां/प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते कि उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो। तदनुसार, यदि ऐसी डिग्रियां उस प्रासंगिक अवधि के लिए मान्य नहीं है जब अभ्यर्थियों उन्हें हासिल किया है, उन्हें शैक्षिक योग्यता के प्रयोजनार्थ स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 7.4 दस्तावेजी सत्यापन के लिए बुलाए गए सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि उससे पूर्व मैट्रिकुलेशन पूरा करने के प्रमाण के रूप प्रासंगिक प्रमाणपत्र जैसेकि अंकपत्र, अनंतिम प्रमाणपत्र आदि मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे, इसमें विफल रहने पर आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। वे अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उनके नाम पर भी विचार किया जाएगा। यह पुनः बताया जाता है कि जरूरी शैक्षणिक योग्यता के परिणाम बोर्ड / विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि तक घोषित हो जाने चाहिए। बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा महत्वपूर्ण अंतिम तिथि से पहले महज परिणाम की प्रक्रिया शुरू करना ही आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरा करना नहीं है।
- 7.5 एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों के लिए प्रोत्साहन : एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों के लिए प्रोत्साहन निम्नलिखित मानों में दिया जाएगा :

प्रमाणपत्र श्रेणी	प्रोत्साहन / बोनस अंक
एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 5%
एनसीसी 'बी' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 3%
एनसीसी 'ए' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 2%

- 7.5.1 प्रोत्साहन / बोनस अंकों का लाभ केवल उसी अभ्यर्थी को दिया जाएगा, जिसने ऑनलाइन आवेदन में 'एनसीसी प्रमाणपत्र' हेतु बोनस अंक / प्रोत्साहन विकल्प दिया है। यदि किसी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन पत्र में यह नहीं दर्शाया है कि वह एनसीसी प्रमाणपत्र धारक है, तो स्थिति में बाद में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 7.5.2 एनसीसी सर्टिफिकेट का लाभ दस्तावेज सत्यापन के समय उनके दावे के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर ही प्रदान किया जाएगा।
- 7.5.3 तथापि, एनसीसी सर्टिफिकेट के सत्यापन तक, ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी द्वारा किए गए दावे के अनुसार अस्थायी रूप से बोनस अंक दिए जाएंगे।
- 7.5.4 इसकी निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।
- 7.5.5 भूतपूर्व सैनिकों के लिए यह लाभ उपलब्ध नहीं हैं।

8. आवेदन कैसे करे:

- 8.1 आवेदनपत्र केवल ऑनलाइन मोड में कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात <https://ssc.nic.in> पर जमा करने होंगे। विस्तृत निर्देशों के लिए, कृपया इस विज्ञप्ति के अनुलग्नक- I और अनुलग्नक- II का अवलोकन करें। एकबारगी पंजीकरण का और ऑनलाइन आवेदन का नमूना प्रोफार्मा अनुलग्नक-Iक और अनुलग्नक- IIक के रूप में संलग्न हैं।
- 8.2 ऑनलाइन आवेदन-पत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। शांतनु कुमार एवं अन्य के मामले [2018 की रिट याचिका (सि) सं. 234] में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 05.03.2020 के आदेश के अनुसरण में फोटोग्राफ परीक्षा-विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और बिना चश्मे का होना चाहिए। सामने का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। परीक्षा में अभ्यर्थी का भेष ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटो के अनुसार होनी चाहिए।
- 8.3 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय 31-12-2023(23:00) है।
- 8.4 अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें क्योंकि अंतिम दिनों में नेटवर्क व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा हो सकती है और क.च.आ. की वेबसाइट पर लॉगइन करने में विफलता हो सकती है।
- 8.5 आयोग उक्त कारणों से या अपने नियंत्रण से परे किसी भी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत न करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

8.6 ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदन के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है।

9. आवेदन शुल्क:

9.1 देय शुल्क: 100/- रुपये (मात्र एक सौ रुपए)।

9.2 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) और आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिकों (भू.पू.सै.) से संबंधित अभ्यर्थियों को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।

9.3 शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से या वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।

9.4 अभ्यर्थी शुल्क का भुगतान **01-01-2024 (23:00 बजे)** तक केवल ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से शुल्क भुगतान का कोई विकल्प नहीं होगा।

9.5 निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इस तरह खारिज किए गए किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के खिलाफ समायोजित किया जाएगा।

9.6 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं मिली है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त हो गया है। यदि शुल्क क.च.आ. को प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दर्शाई जाएगी और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदनपत्र के प्रिंट आउट के शीर्ष पर छपी होगी। इसके अलावा, शुल्क भुगतान की स्थिति को अभ्यर्थी के लॉगिन स्क्रीन में दिए गए "भुगतान की स्थिति" लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है। ऐसे आवेदन जो शुल्क न मिलने के कारण अपूर्ण रह जाते हैं, **उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त** कर दिया जाएगा और परीक्षा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों पर विचार करने और शुल्क भुगतान करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10. आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो [04-01-2024 से 06-01-2024 (23:00 बजे)]:

10.1 आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन परिमाणों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 3 दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

10.2 किसी भी अभ्यर्थी को 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' के दौरान अपने आवेदन को संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए दो बार अनुमति दी जाएगी, अर्थात् यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन

जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में कोई और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।

10.4 आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही आवेदन को जमा करने के लिए 200/- रूपए की एक समान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- रूपए की एक समान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग / श्रेणी कुछ भी हो।

10.5 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीजा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।

10.6 एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

10.7 लागू सुधार राशि की प्राप्ति के अधीन, नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।

10.8 यदि लागू सुधार राशि कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त नहीं होती है, तो आवेदन पत्र की स्थिति अपूर्ण 'Incomplete' दर्शाई जाएगी तथा यह सूचना आवेदन पत्र के शीर्ष पर प्रदर्शित होगी। ऐसे आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और पहले जमा किए गए आवेदन ही वैध रहेंगे।

10.9 संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उसने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

11. परीक्षा केंद्र:

11.1 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उस केंद्र (ओं) को इंगित करें, जिसमें वह परीक्षा देना चाहता है। परीक्षा केन्द्र और क्षेत्रीय कार्यालय जिनके अधिकार क्षेत्र में ये परीक्षा केन्द्र स्थित हैं, के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	परीक्षा केंद्र और केंद्र कोड	कचआ क्षेत्र एवं उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में राज्य/ संघ-राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालयों / वेबसाइट का पता
1	भागलपुर (3201), दरभंगा (3202), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), पूर्णिया (3209), आगरा (3001), बरेली (3005), गोरखपुर (3007), झांसी (3008), कानपुर (3009), लखनऊ (3010) मेरठ (3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी (3013)	मध्य क्षेत्र (म.क्षे) बिहार और उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिवल लाइंस, केंद्रीय सदन, प्रयागराज - 211 001 http://www.ssc-cr.org
2	पोर्ट ब्लेयर (4802), रांची (4205), बालासोर (4601), बेहरामपुर (ओडिशा) (4602), भुवनेश्वर (4604), कटक (4605), धेनकेनाल (4611), राउरकेला (4610), संबलपुर (4609), गैंगटोक (4001), बर्दवान (4404), कोलकाता (4410), सिलीगुड़ी (4415), कल्याणी (4419)	पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.) अंडमान & निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उड़ीशा, सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे.) कर्मचारी चयन आयोग, 8वां तल, प्रथम एमएसओ बिल्डिंग, 234/4, आचार्य जगदीश चंद्रबोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700020 www.sscer.org
3	बेंगलूरु (9001), बेलगावी (9002), कलबुरगी (गुलबर्गा) (9005), मैंगलुरु (9008), मैसूरु (9009), शिवमोगा (9010), हूब्लली (9011), उडुपी (9012), एर्नाकुलम (9213), कोलम (9210), कोट्टायम (9205), कोझिकोड (9206), तिरुवनंतपुरम (9211), थ्रिसूर (9212)।	केरल कर्नाटक क्षेत्र (केकेआर) लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल	क्षेत्रीय निदेशक (केरल कर्नाटक क्षेत्र) कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन, कोरामंगला, बेंगलुरु, कर्नाटक-560034 www.ssckkr.kar.nic.in
4	भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सतना (6014), सागर (6015), उज्जैन (6016), बिलासपुर (6202), रायपुर (6204), दुर्ग-भिलाई (6205),	मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र (म.प्र.क्षे.) मध्य प्रदेश और चंडीगढ़	क्षेत्रीय निदेशक (म.प्र.क्षे.), 5वां तल, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग, एलआईसी कांम्प्लेक्स, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492004 www.sscmpr.org
5	इटानगर (5001), डिब्रूगढ़ (5102),	पूर्वोत्तर क्षेत्र	क्षेत्रीय निदेशक (एनईआर),

	गुवाहाटी (दिसपुर) (5105), जोरहाट (5107), सिलचर (5111), तेजपुर (5112), इम्फाल (5501), शिलांग (5401), आइजाल (5701), दिमापुर (5301), कोहिमा (5302), अगरतला (5601)	(एनईआर)/ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा	कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्ट गेट, वशिष्ठ रोड, पीओ असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम - 781006 www.sscner.org.in
6	दिल्ली (2201), अजमेर (2401), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर (2406), उदयपुर (2409), देहरादून (2002), हल्द्वानी (2003), रुड़की (2006)।	उत्तरी क्षेत्र (एन आर)/ दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक (एनआर), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 www.sscnr.net.in
7	चंडीगढ़ / मोहाली (1601), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), सांबा (1010), श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) (1007), लेह (1005), अमृतसर (1404), भटिंडा (1401), जालंधर (1402), पटियाला (1403)	पश्चिमोत्तर उप- क्षेत्र (पश्चि.क्षे.)/ चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर लद्दाख तथा पंजाब	क्षेत्रीय निदेशक (पश्चि.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक सं. 3, भूतल, केन्द्रीय सदन, सैक्टर-9, चंडीगढ़-160009 www.sscnwr.org
8	चिराला (8011), गंटूर (8001), काकीनाडा (8009), करनूल (8003), नेल्लोर (8010), राजामुन्त्री (8004), तिरुपति (8006), विजियानगरम (8012), विजयवाड़ा (8008), विशाखापत्तनम (8007), पुडुचेरी (8401), चेन्नै (8201), कोयंबटूर (8202), मदुरै (8204), सेलम (8205), तिरुचिरापल्ली (8206), तिरुनवेली (8207), वेल्लोर (8208), हैदराबाद (8601), करीमनगर (8604), वारंगल (8603)	दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)/ आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, द्वितीय तल, ईवीके संपत बिल्डिंग, डीपीआई परिसर, कॉलेज रोड, चेन्नै, तमिलनाडु-600006 www.sscsr.gov.in
9	पणजी (7801), अहमदाबाद (7001), गांधीनगर (7012), मेहसाना (7013), राजकोट (7006), सूरत (7007), वडोदरा (7002), अमरावती (7201), औरंगाबाद (7202), जलगांव (7214), कोल्हापुर (7203), मुम्बई (7204), नागपुर (7205), नांदेड (7206), नासिक (7207), पुणे (7208)	पश्चिमी क्षेत्र (प.क्षे.)/ दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि करवे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र -400020 www.sscwr.net

- 11.2 अभ्यर्थी प्राथमिकता के क्रम में, उसी क्षेत्र के भीतर तीन केंद्रों के लिए विकल्प दे सकता है। इसके पश्चात किसी भी परिस्थिति में केंद्र के परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थी, केन्द्र का चयन ध्यान से करें और अपने आवेदन में उसे ठीक से इंगित करें।
- 11.3 आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केंद्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग को किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को अन्य केंद्र से परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार है। आयोग को परीक्षा के अतिरिक्त केंद्रों को शामिल करने और किसी भी केंद्र के अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए अन्य केंद्र पर स्थान्तरित करने का अधिकार भी है।
- 11.4 कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र, पीईटी / पीएसटी या विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) / पुनर्विचार मेडिकल परीक्षा (आरएमई) उस राज्य / संघराज्य-क्षेत्रों की रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु कोई मानदंड नहीं होगा जिसमें ऐसे केंद्र स्थित हैं। इस प्रयोजनार्थ अधिवास प्रमाण-पत्र / स्थायी निवास प्रमाण-पत्र ही एकमात्र मानदंड होगा।

12. परीक्षा की रूप रेखा

12.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा : कंप्यूटर आधारित परीक्षा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा जिसमें निम्नलिखित संरचना में 80 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंको का होगा।

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि/ अनुमत समय
भाग- क	सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति	20	40	60 मिनट
भाग- ख	सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी	20	40	
भाग- ग	प्रारंभिक गणित	20	40	
भाग- घ	अंग्रेजी/हिंदी	20	40	

12.1.1 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु-विकल्पीय प्रश्न होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा अंग्रेजी, हिंदी और 13 क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात (i) असमिया, (ii) बांग्ला, (iii) गुजराती, (iv) कन्नड़, (v) कोंकणी, (vi) मलयालम, (vii) मणिपुरी, (viii) मराठी, (ix) ओड़िया, (x) पंजाबी, (xi) तमिल, (xii) तेलगु, और (xiii) उर्दू में आयोजित की जाएगी।

12.1.2 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। अतएव, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों का उत्तर देते समय इस तथ्य को ध्यान में रखें।

12.1.3 अभ्यर्थियों को परीक्षा के तिथि की जानकारी सिर्फ आयोग के वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।

12.1.4 अंकों के पुनर्मूल्यांकन / पुनः जाँच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

- 12.1.5 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक आयोग द्वारा जारी नोटिस सं-1-1/2018-पी&पी-I दिनांक-07.2.2019 में प्रकाशित सिद्धान्त के प्रयोग से सामान्यीकृत किए जाएंगे और ऐसे सामान्यकृत अंकों सहित एनसीसी प्रमाण-पत्र धारकों के लिए बोनस अंकों का प्रयोग अंतिम योग्यता और कट-ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।
- 12.1.6 परीक्षा के बाद अनंतिम उत्तर-कुंजी आयोग के वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर-कुंजी को अच्छी तरह से परख सकते हैं और अगर उस पर कोई अभ्यावेदन देना चाहें तो आयोग द्वारा दी गई समय-सीमा के अंदर, 100 रु. प्रति प्रश्न का भुगतान करके, सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से दे सकते हैं। उत्तर-कुंजी अपलोड करने के समय, आयोग द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा के अंदर प्राप्त, उत्तर-कुंजी से संबन्धित किसी भी अभ्यावेदन की उत्तर-कुंजी को अंतिम रूप देने से पहले संवीक्षा की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा।
- 12.1.7 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रश्न मेट्रिकुलेशन स्तर के होंगे।
- 12.1.8 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में वाक-श्रु वीडियो/ मॉक टेस्ट आयोग की वेबसाइट के 'अभ्यर्थी कॉर्नर' सेक्शन में प्रदान किया गया है।
- 12.1.9 अभ्यर्थियों को कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। अतः उन्हें ऐसे उपकरणों को परीक्षा हॉल/ लैब के अंदर नहीं लाना चाहिए।
- 12.1.10 परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा :

12.1.10.1 सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति: सैद्धान्तिक रूप से गैर-शाब्दिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से विश्लेषणात्मक अभिरूचि देखने और प्रतिरूपों में भिन्नता करने की योग्यता आंकी जाएगी। इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग इत्यादि पर प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है।

12.1.10.2 सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी : इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के परिवेश की सामान्य जानकारी की जांच करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन-प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैधानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ये इस प्रकारके प्रश्न होंगे कि उनके लिए किसी भी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

12.1.10.3 प्रारंभिक गणित : इस प्रश्नपत्र में संख्या प्रणाली से संबंधित समस्याओं, पूर्णाकों का अभिकलन, दशमलव और भिन्न तथा संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशतता, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ-हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य, आदि से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे।

12.1.10.4 अंग्रेजी/हिंदी : अभ्यर्थियों के मूल अंग्रेजी/हिंदी ज्ञान, उसकी मूलभूत समझ आदि की जांच की जाएगी।

12.2 शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी)/ शारीरिक क्षमता परीक्षा (पीईटी) :

कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर, अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा पीईटी/पीएसटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। के.स.पु. बल द्वारा अंतिम रूप से निर्णीत विभिन्न केंद्रों पर शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) और शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) आयोजित की जाएगी। विस्तृत चिकित्सा जांच के दौरान अभ्यर्थियों की पात्रता/दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जाएगी। इसलिए, कंप्यूटर आधारित परीक्षा/शारीरिक मानक परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा में बैठने से पहले अपनी पात्रता की जांच करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। पीईटी / पीएसटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद पीईटी और पीएसटी से गुजरने के लिए कहा जाएगा। पीएसटी में ऊंचाई, वजन और छाती (जैसा लागू हो) का माप शामिल होगा।

12.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) और शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले भूतपूर्व सैनिक को शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) और शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) में सिर्फ ऊंचाई, छाती और वजन माप के लिए शामिल होना होगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए पीएसटी/पीईटी में पूर्णतः छूट है। इन भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) और शारीरिक क्षमता परीक्षण (पीईटी) का आयोजन नहीं किया जाएगा। तथापि, उन्हें चिकित्सा परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है।

12.4 शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी): अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अवधि के भीतर दौड़ पूरी करनी है:

	पुरुष	महिला	टिप्पणी
दौड़	24 मिनट में 5 किमी.	8½ मिनट में 1.6 किमी.	लद्दाख क्षेत्र के अभ्यर्थियों के अलावा
	7 मिनट में 1.6 किमी.	5 मिनट में 800 मीटर	लद्दाख क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए

12.4.1 पीएसटी (शारीरिक मानक परीक्षा)/पीईटी (शारीरिक क्षमता परीक्षा) के लिए महिला अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग पर, उनकी गर्भावस्था की स्थिति के बारे में जानकारी देने वाली एक स्व-घोषणा प्रस्तुत की जाएगी। यदि वह घोषणा करती है कि वह गर्भवती नहीं है तो उसे पीएसटी/पीईटी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। झूठी घोषणा के मामले में, पीएसटी/पीईटी देने से संबंधित सारा जोखिम उसका स्वयं का होगा। यदि महिला अभ्यर्थी पीएसटी/पीईटी से पहले घोषणा करती है कि

वह गर्भवती है, तो एक गर्भावस्था पुष्टिकरण परीक्षण किया जाएगा और यदि वह गर्भवती पाई जाती है, तो गर्भावस्था की अवधि के बावजूद, उसे अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसकी नियुक्ति प्रसव तक रोक कर रखी जाएगी। जिस रिक्रि के लिए किसी महिला अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा उस रिक्रि को उसके लिए आरक्षित रखा जाएगा। प्रसव की तिथि के 6 हफ्तों के बाद, पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के लिए पुनः जांच की जाएगी। अगर वह फिट पाई जाती है, तो उसके लिए आरक्षित पद पर उसकी नियुक्ति की जाएगी और समय समय पर संशोधित सरकार के निर्देशानुसार उसे वरिष्ठता का लाभ भी दिया जाएगा। यदि महिला अभ्यर्थी गर्भावस्था में नहीं पाई जाती है, तो उसे पीएसटी/पीईटी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

12.5. शारीरिक मापदंड परीक्षा (पीएसटी) : उपर्युक्त पदों के लिए शारीरिक मापदंड निम्नानुसार है:-

12.5.1 ऊंचाई:

- 12.5.1.1 पुरुष: 170 से.मी.
 12.5.1.2 महिला: 157 से.मी.
 12.5.1.3 अभ्यर्थियों की कुछ श्रेणियों को उल्लिखित ऊंचाई में छूट प्रदान की जाती है।
 ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनुमत ऊंचाई में छूट निम्नानुसार है:

क्र.सं.	के लिए छूट	पुरुष (से.मी.)	महिला (से.मी.)
(क)	अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी	162.5	150.0
(ख)	पूर्वोत्तर राज्यों के अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी	157.0	147.5
(ग)	वामपंथी उग्रवादी प्रभावित जिलों के अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी	160.0	147.5
(घ)	गढ़वाली, कुमाऊं, डोगरा, मराठों की श्रेणियों के अभ्यर्थियों और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए	165.0	155.0
(ङ)	उत्तर-पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के अभ्यर्थियों के लिए	162.5	152.5
(च)	गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) जिसमें दार्जिलिंग जिले के तीन उप-मंडल, नामतः दार्जिलिंग, कालीम्पोंग और कुर्सियांग शामिल हैं और जिनमें इन जिलों के निम्नलिखित "मौजस" उप-मंडल भी शामिल हैं: लोहागढ़ चाय बागान (2) लोहागढ़ वन (3)रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पानीघटा (6) छोटा अदालपुर (7) पहार (8) सुकना वन (9) सुकना भाग-1 (10) पंतपति वन -1 (11) महानदी वन (12) चंपसारी वन (13) सालबारी छत भाग-II (14) सितोंग वन (15) सिवोक हिल वन (16)	157.0	152.5

सिवोक वन (17) छोटा चेंगा (18) निपानिया, के अभ्यर्थियों के लिए		
--	--	--

- 12.5.2 **सीना :** पुरुष अभ्यर्थियों के सीने के माप के निम्नलिखित मानक होने चाहिए :
- 12.5.2.1 बिना फुलाए : 80 सेमी
- 12.5.2.2 न्यूनतम विस्तार : 5 सेमी
- 12.5.2.3 अभ्यर्थियों की कुछेक श्रेणियों को सीने के माप में छूट दी गई है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए सीने के माप में छूट के मानक निम्नलिखित हैं :

क्रम सं.	के लिए छूट	बिना फुलाए (सेमी में)	न्यूनतम विस्तार (सेमी में)
(क)	अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों के लिए	76	5
(ख)	गढ़वाली, कुमाऊंनी, डोगरा, मराठा श्रेणियों के अभ्यर्थियों और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए	78	5
(ग)	उत्तर-पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के और गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के अभ्यर्थियों के लिए।	77	5

- 12.5.2.4 महिला अभ्यर्थियों के सीने का माप नहीं लिया जाएगा। तथापि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सीना अच्छी तरह से विकसित है।

12.5.3 **वजन:** ऊंचाई और आयु के अनुपात में चिकित्सा मानकों के अनुसार।

12.5.4 छूट अर्थात ऊंचाई और सीने की माप के लिए, अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच शा.क्ष.प. (दौड़) में अर्हता प्राप्त करने के बाद शा.मा.प. से पहले सीएपीएफ शा.मा.प. / शा.क्ष.प. बोर्डों द्वारा की जाएगी। अनुसूचित जाति से इतर अन्य अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त वर्णित ऊंचाई और सीने (यथा प्रयोज्य) में छूट शा.मा.प. / शा.क्ष.प. के समय सक्षम प्राधिकारी से **अनुबंध -IX** के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणपत्र देने पर स्वीकार्य होगी। अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थी वैध अ.ज.जा. प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके छूट प्राप्त कर सकते हैं।

12.5.5 जिन अभ्यर्थियों को शारीरिक मानकों अर्थात ऊंचाई, और सीने के अनुसार योग्य घोषित नहीं किया जाता है, यदि वे चाहें तो पीठासीन अधिकारी (पीओ) के माध्यम से केंद्र में नामित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उसी दिन अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम माना जाएगा और उसके बाद इस

संबंध में कोई अपील या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पीईटी (रेस) में कोई अपील नहीं की जा सकती है।

12.5.6 शा.मा.प / शा.द.प. और वि.चि.प. / पु.चि.प. किए जाने की जिम्मेदारी केवल के.स.पु.ब की होगी। आयोग शा.मा.प / शा.द.प. और वि.चि.प. / पु.चि.प. बोर्ड के फैसले के खिलाफ किसी भी अभ्यावेदन / अपील / आरटीआई आवेदन / सीपीग्राम्स को स्वीकार नहीं करेगा।

12.6 **चिकित्सा परीक्षा:** शा.मा.प / शा.द.प. में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पूल में से अभ्यर्थियों को विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के लिए चयनित किया जाएगा।

12.6.1 विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों की पुष्टि की जाएगी:

12.6.1.1 आयु, नाम और शैक्षिक योग्यता की पुष्टि के लिए मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र।

12.6.1.2 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र / स्थायी निवास प्रमाणपत्र।

12.6.1.3 यदि लागू हो तो वैध एनसीसी प्रमाणपत्र।

12.6.1.4 सेवारत रक्षा कार्मिकों से से विज्ञप्ति के अनुबंध- IV में यथा निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र।

12.6.1.5 भूतपूर्व सैनिकों से अनुबंध- V में यथा निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र।

12.6.1.6 आरक्षण/आयु में छूट मांगने वाले अभ्यर्थियों को इस विज्ञप्ति के अनुबंध-VI, अनुबंध-VII और अनुबंध-VIII के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाणपत्र।

12.6.1.7 ऊंचाई/सीने की माप से संबंधित छूट का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थियों से इस विज्ञप्ति के अनुबंध- IX के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र।

12.6.1.8 इस विज्ञप्ति के पैरा-5.1 के तहत श्रेणी 04/05/06 में वर्णित दंगा पीड़ितों के आश्रित आवेदकों के संबंध में जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाणपत्र।

12.6.1.9 पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों से इस विज्ञप्ति के अनुबंध-XIII के अनुसार निर्धारित प्रारूप में मूल निवास स्थान/पहचान प्रमाणपत्र।

12.6.2 शार्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की शारीरिक एवं चिकित्सा योग्यता का आकलन करने के लिए के.स.पु.ब. द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के.स.पु.ब. और असम राइफल्स में राजपत्रित अधिकारियों व अराजपत्रित अधिकारियों के लिए भर्ती चिकित्सा परीक्षा हेतु समान दिशा-निर्देशों और गृह मंत्रालय के अशा. सं. ए-VI-1 / 2014 / भर्ती (एसएसबी), दिनांकित 20.05.2015 तथा गृह मंत्रालय के का.ज्ञा.सं. ई.32012 / एडीजी (मेड) / डीएमईएंडआरएमई / डीए-1 / 2020 (पार्ट फाइल) / 1166, दिनांक 31.05.2021 के माध्यम से और सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित शर्तों के अनुसार चिकित्सा परीक्षा की जाएगी। उपर्युक्त आदेश निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:-

https://www.mha.gov.in/sites/default/files/policedevision_17062021_0.pdf

13. परीक्षा में प्रवेश

- 13.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने हेतु रोल नंबर दिया जाएगा और प्रवेश-पत्र दिया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तदनंतर, अर्हक अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तरों के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।
- 13.2 आयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा और शा.क्ष.प. / शा.मा.प. के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे उक्त पद के लिए पात्र हैं। जांच किए जाने के समय यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे को पुष्ट नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 13.3 परीक्षा के सभी स्तरों के लिए प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय, कर्मचारी चयन आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और सीआरपीएफ की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
- 13.4 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइटों पर ऑनलाइन जारी किए जाएंगे और पीईटी / पीएसटी और चिकित्सा परीक्षा (डीएमई / आरएमई) के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र सीआरपीएफ द्वारा उनकी वेबसाइट यानी <http://crpf.gov.in> पर जारी किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग मुख्यालय (अर्थात् <https://ssc.nic.in>), सीआरपीएफ और आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों, जिसके अधिकार क्षेत्र में अभ्यर्थी द्वारा चुने गए परीक्षा केंद्र स्थित हैं (ब्योरा पैरा 11.1 पर) की वेबसाइटों को नियमित रूप से देखते रहें।
- 13.5 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा का शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्र केंद्रों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक वेबसाइट पर अपना विवरण प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल आवेदन जमा करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।
- 13.6 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण आईडी, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- 13.7 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र डाउनलोड करने की सुविधा परीक्षा से लगभग 3-7 दिन पहले संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसी प्रकार पीईटी / पीएसटी और मेडिकल परीक्षा (डीएमई / आरएमई) के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित परीक्षा

से लगभग 2 सप्ताह पहले सीआरपीएफ की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना होगा।

- 13.8 सीआरपीएफ की वेबसाइट से पीएसटी/पीईटी और डीएमई/आरएमई के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में असमर्थता के मामले में, अभ्यर्थियों को पीईटी / पीएसटी या डीएमई / आरएमई से कम से कम एक सप्ताह पहले सीआरपीएफ से संपर्क करना चाहिए। पीईटी / पीएसटी और चिकित्सा परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में, अभ्यर्थी सीआरपीएफ भर्ती हेल्पलाइन नंबर 011-26160255 पर संपर्क कर सकते हैं।
- 13.9 प्रवेश प्रमाण-पत्र के अलावा, कम से कम हाल ही की दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो, मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य जिसमें वही **जन्म तिथि** लिखी हो जो प्रवेश प्रमाण-पत्र में छपी है, लाना अनिवार्य है, जैसे:
- 13.9.1 आधार कार्ड / ई-आधार का प्रिंटआउट,
 - 13.9.2 मतदाता पहचान-पत्र,
 - 13.9.3 ड्राइविंग लाइसेंस,
 - 13.9.4 पैन कार्ड,
 - 13.9.5 पासपोर्ट,
 - 13.9.6 विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र,
 - 13.9.7 नियोक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र (सरकारी / सार्वजनिक उपक्रम / निजी)
 - 13.9.8 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतभूव सैनिक की सेवा निवृत्ति पंजिका
 - 13.9.9 केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र
- 13.10 यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो उम्मीदवार को अपनी **जन्म-तिथि** के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे- सीबीएसई / आईसीएसई / राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट, अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र / प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 13.11 अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित अन्य दस्तावेज भी लाने होंगे।
- 13.12 धुंधली तस्वीर और / या हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

14. चयन का तरीका:

- 14.1 इस भर्ती प्रक्रिया में कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.ई.), शारीरिक क्षमता परीक्षा (शा.क्ष.प.), शारीरिक मापदंड परीक्षा (शा.मा.प.), चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/आरएमई) और दस्तावेज सत्यापन शामिल होंगे।
- 14.2 नीचे दिए गए कट-ऑफ अंक (एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को बोनस अंक जोड़े बिना) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी पीईटी / पीएसटी में शॉर्ट-लिस्टिंग के लिए योग्य माना जाएगा:

14.2.1 अना. : 30%

14.2.2 अ.पि.व. / आ.क.व : 25%

14.2.3 अन्य सभी श्रेणियां : 20 %

14.3 एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को अनंतिम रूप से निम्नलिखित प्रोत्साहन अंक दिए जाएंगे जो अभ्यर्थियों के सामान्यीकृत अंकों में जोड़े जाएंगे:

14.3.1 एनसीसी 'सी' सर्टिफिकेट : परीक्षा के कुल अंको का 5 %

14.3.2 एनसीसी 'बी' सर्टिफिकेट : परीक्षा के कुल अंको का 3 %

14.3.3 एनसीसी 'ए' प्रमाणपत्र : परीक्षा के कुल अंको का 2 %

14.4 शा.क्ष.प. / शा.मा.प. में उपस्थित होने के लिए पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (यदि लागू हो तो एनसीसी बोनस अंकों सहित) में उनकी योग्यता के आधार पर राज्य / क्षेत्र-वार और श्रेणी-वार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में योग्यता के आधार पर शा.क्ष.प. / शा.मा.प. के लिए चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या का लगभग 8 (आठ) गुना होगी। एस.एस.एफ. की रिक्तियों के लिए अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है।

14.5 शा.क्ष.प. / शा.मा.प. में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) और दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के लिए शॉर्ट-लिस्टिंग के लिए योग्य माना जाएगा।

14.6 शा.क्ष.प. / शा.मा.प. में अर्हता प्राप्त करने वाले पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (यदि लागू हो तो एनसीसी बोनस अंकों सहित) में उनकी योग्यता के आधार पर डीएमई / डीवी में उपस्थित होने हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में योग्यता के आधार पर डीएमई / डीवी के लिए चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या का लगभग 2 (दो) गुना होगी। एस.एस.एफ. की रिक्तियों के लिए अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है।

14.7 दस्तावेज सत्यापन (अर्थात् अभ्यर्थियों से आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र / दस्तावेजों का संग्रहण और मूल दस्तावेजों के साथ उनका सत्यापन) सीएपीएफ द्वारा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के साथ किया जाएगा।

14.8 यदि अभ्यर्थी ने एनसीसी प्रमाणपत्र धारक होने का दावा किया है और वह डीवी के समय वैध एनसीसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो अभ्यर्थी को अनंतिम रूप से दिए गए प्रोत्साहन अंक वापस ले लिए जाएंगे।

14.9 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में निम्नलिखित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल / संगठनों की वरीयता को अग्रता के क्रम में देना होगा। सभी छह वरीयताओं को भरना अनिवार्य होगा:

14.9.1 सीमा सुरक्षा बल (ए)

14.9.2 केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (बी)

14.9.3 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी)

14.9.4 सशस्त्र सीमा बल (डी)

- 14.9.5 भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ई)
- 14.9.6 असम राइफल्स (एफ)
- 14.9.7 सचिवालय सुरक्षा बल (एच)
- 14.10 शा.क्ष.प. / शा.मा.प. और डीवी / मेडिकल परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को अंतिम योग्यता-सूची में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।
- 14.11 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (एनसीसी बोनस अंकों सहित) में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर प्रत्येक श्रेणी, नामतः अना., अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., आ.क.व. और भू.सै. में अभ्यर्थियों के अंतिम चयन के साथ-साथ बल आवंटन, पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में और जहां भी लागू हो सीमावर्ती क्षेत्रों और आतंकवाद / नक्सल प्रभावित जिलों के लिए अलग-अलग किया जाएगा। एस.एस.एफ. के लिए अभ्यर्थियों का चयन अखिल भारतीय आधार पर किया जाएगा।
- 14.12 अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल / संगठनों का आवंटन 'कंप्यूटर आधारित परीक्षा (एनसीसी बोनस अंक सहित) में योग्यता-सह-अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदनों में उनके द्वारा दी गयी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल/संगठनों की वरीयता' के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में वरीयता के क्रम में बल/संगठनों की वरीयताओं को देते समय अत्यधिक सावधान रहें तथा इन्हें सतर्कतापूर्वक भरें। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के प्रस्तुतीकरण के पश्चात, आयोग द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में वरीयता में परिवर्तन के किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 14.13 अभ्यर्थियों के नाम पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा तथा उसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के समय संगत अधिवास प्रमाणपत्र के उत्तरवर्ती प्रस्तुतीकरण के आधार पर सीमावर्ती जिलों, आतंकवाद/नक्सलवाद प्रभावित जिलों की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा। अभ्यर्थी ध्यान दें कि आवेदन पत्र के विशिष्ट कॉलम में अभ्यर्थी द्वारा भरा गया अधिवास जिला/राज्य ही उसका अधिवास राज्य/जिला माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए स्थायी/पत्राचार पते के कॉलम/बॉक्स से अधिवास जिला/राज्य पर विचार/निर्धारित नहीं किया जाएगा।
- 14.14 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अधिवास राज्य और जिले के बारे में सूचना उपलब्ध कराते समय अत्यधिक सावधान रहें तथा यह सूचना सतर्कता पूर्वक भरें। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के प्रस्तुतीकरण के पश्चात आयोग द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में, अधिवास राज्य और जिले में परिवर्तन के किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अभ्यर्थी द्वारा उल्लिखित जिला और / अथवा राज्य और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा / दस्तावेज सत्यापन के समय उसके द्वारा प्रस्तुत अधिवास प्रमाणपत्र में कोई भिन्नता है तो उसकी अभ्यर्थिता को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसे विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- 14.15 अजा, अजजा, अपिव, आकव और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति के अनुसार अनारक्षित रिक्तियों में सहयोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा, अजजा, अपिव, आकव और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
- 14.16 अजा, अजजा, अपिव, आकव तथा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी, जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए निर्धारित मानकों की अपेक्षा मानकों अर्थात् आयु सीमा, ऊँचाई तथा सीने की माप, अनुभव अथवा योग्यता, अवसरों की अनुमत्य संख्या में छूट तथा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को दी गई छूट की अपेक्षा अधिक छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, तो उनके योग्यता क्रम पर ध्यान दिए बिना, ऐसे अजा, अजजा, अपिव तथा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों की आरक्षित रिक्तियों में गणना की जाएगी। जहां तक भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों का संबंध है, भूतपूर्व सैनिक की आयु में से उसके द्वारा प्रदान की गई सैन्य सेवा की अवधि की कटौती आरक्षित तथा अनारक्षित पदों के लिए अनुज्ञेय है तथा आयु के संबंध में प्रदान की गई इस छूट को मानकों में छूट के रूप में परिभाषित नहीं किया जाएगा।
- 14.17 नक्सल/उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को पहले नक्सल/उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों की रिक्तियों के लिए और फिर सामान्य क्षेत्रों की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा। इसी प्रकार, सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों को पहले सीमा क्षेत्र की रिक्तियों के लिए और फिर सामान्य क्षेत्र की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा। दोनों क्षेत्रों अर्थात् नक्सल/उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के साथ-साथ सीमा क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों को पहले नक्सल/उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा, उसके बाद क्रमशः सीमा क्षेत्र और सामान्य क्षेत्र की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा।
- 14.18 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णतया अनन्तिम होगा, बशर्ते वे पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करते हों। यदि किसी भी समय कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शा.क्ष.प. / शा.मा.प. और चिकित्सा परीक्षा और साथ ही, नियुक्ति प्रस्ताव, बल / संगठन में शामिल होने से पहले अथवा बाद में जांच करने पर यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग / के.स.पु.बल द्वारा उनकी अभ्यर्थिता / पद के लिए चयन को निरस्त कर दिया जाएगा।
- 14.19 परीक्षा में सफलता से तब तक नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होता जब तक कि सरकार इस तरह की जांच के बाद संतुष्ट नहीं हो जाती है कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी तरह से उपयुक्त है।
- 14.20 यदि परीक्षा के किसी भी पेपर / चरण में कट-ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी किसी भी कारण से बाद के चरण / अंतिम चयन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम की घोषणा के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण के आयोजन से दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में अभ्यावेदन करना होगा।

14.21 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और उसे अंतिम परिणाम घोषित होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर आयोग या सीएपीएफ / संगठन से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तुरंत संबंधित सीएपीएफ / संगठन के साथ संपर्क करना चाहिए।

15. बराबरी(टाई) के मामलों का निपटारा:

कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों (एनसीसी बोनस अंकों सहित) में बराबरी होने की स्थिति में, ऐसे मामलों का निपटारा एक के बाद एक निम्नलिखित मानदंडों को लागू करके किया जाएगा, जब तक कि बराबरी का निपटारा नहीं हो जाता :

- 15.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-क में प्राप्तांक।
- 15.2 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-ख में प्राप्तांक।
- 15.3 जन्म तिथि, अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाती है।
- 15.4 वर्णानुक्रम में नाम

16. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

16.1 संदिग्ध और बेमेल अभ्यर्थी: जिन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि, जिले, अधिवास, माता-पिता का नाम ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन से मेल नहीं खाते हैं; उन्हें बेमेल अभ्यर्थी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का एलटीआई, हस्ताक्षर, लिखावट और फोटो और इनमें से एक सीबीई और ऑनलाइन आवेदन के दौरान एकत्र किए गए बायोमेट्रिक डेटा से मेल नहीं खाता है या किसी भी स्तर पर मेल नहीं खाता है, उन्हें संदिग्ध अभ्यर्थी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

16.2 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी के लिए भी दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्रम संख्या	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- ओएमआरशीट, रफशीट, प्रवेशपत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीटें लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना।	2 वर्ष
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचित किए परीक्षा स्थल को छोड़ना।	2 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात् पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	3 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना / अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	3 वर्ष

6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	3 वर्ष
7	‘स्विचऑन’ या ‘स्विचऑफ’ मोड में मोबाइल फोन रखना।	3 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन कर के एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना / उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों / हथियारों को रखना।	5 वर्ष
13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात् पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	7 वर्ष
14	आग्नेय शस्त्रों / हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना-धमकाना।	7 वर्ष
15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	7 वर्ष
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाई कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	7 वर्ष
17	छद्मवेषन / किसी अन्य व्यक्ति से छद्मरूप में कार्य साधन कराना।	7 वर्ष
18	स्नेपशाट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष
19	रिमोट डेस्क टॉप सॉफ्टवेयर / एप / लैन / वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा प्रणाली को हैक करने या जोड़-तोड़ करने की कोशिश करना।	7 वर्ष

- 16.3 आयोग यदि उचित समझे तो मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फॉरेंसिक विशेषज्ञों आदि से मामले की जांच कराने के लिए भी उचित कार्रवाई कर सकता है।
17. **आयोग का निर्णय अंतिम** : पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा(ओं)के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आवंटन तथा योग्यता सूची तैयार करने और बल आवंटन संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
18. **न्यायालय का क्षेत्राधिकार**: इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिस स्थान के न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ है।
19. दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा.सं. 39020/1/016/स्था (ख) के तहत डीओपीटी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बेरोजगार अभ्यर्थियों के रोजगार से संबंधित अवसरों में पहुंच बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया

गया है कि आयोग अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद अपने पोर्टल पर भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और रैंकिंग उपलब्ध कराएगा। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद, अंतिम परीक्षा में अभ्यर्थियों के रोल नंबर, रैंकिंग के अलावा अभ्यर्थियों का नाम, माता-पिता / पति का नाम, शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग (पुरुष / महिला), अर्हक परीक्षा में कुल अंक, ई-मेल पते सहित पूरा पता वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। तथापि, अभ्यर्थियों के पास आवेदन भरने के समय अपनी जानकारी को सार्वजनिक रूप से प्रकट न करने के लिए प्रकटीकरण संबंधी योजना से बाहर निकलने का विकल्प होगा।

20. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश:

1.	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
2.	अभ्यर्थियों को उनके हित के लिए सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट की विसंबंधन / लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।
3.	अभ्यर्थियों से दस्तावेजों का संग्रहण और उनका सत्यापन के.स.पु.बल द्वारा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के समय किया जाएगा। अतः अभ्यर्थिता को केवल अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले सलाह दी जाती है कि वे शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक मानकों इत्यादि की आवश्यकताओं को पूरा करें और स्वयं संतुष्ट हो कि वे पदों के लिए पात्र हैं। जब विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के दौरान दस्तावेजों की संवीक्षा की जाएगी, तब आवेदन में किए गए किसी भी दावे को प्रमाणित नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
4.	इस विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / भूपूसे के रूप में आरक्षण का लाभ उठाने या इस विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार कोई अन्य छूट के इच्छुक अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस तरह के आरक्षण / छूट के हकदार हैं। प्रमाणपत्र की प्रतियां मांगे जाने पर उनके पास निर्धारित प्रारूप में संबंधित प्रमाणपत्र होना चाहिए।
5.	अजा, अजजा अथवा अपिव श्रेणी की जाति से संबंधित अभ्यर्थी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासन करते हैं, जहां अभ्यर्थियों की जाति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे अभ्यर्थियों को एक विकल्प सूचित करना होगा कि क्या वे मूल राज्य के आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं या नहीं या प्रवासी राज्य से अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में बैठना चाहते हैं। इस तरह के विकल्प को अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में देना होगा। आवेदन पत्र जमा करने के बाद, इस तरह के विकल्प बदलने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ लेने का विकल्प चुनता है, तो उसे आवेदन पत्र में वर्तमान निवास के जिला और राज्य के साथ साथ मूल जिला और राज्य की जानकारी देनी होगी। ऐसे मामलों में उनकी अभ्यर्थिता पर मूल राज्य से ही विचार किया जाएगा।
6.	दिव्यांगजन (दिव्यां) इस परीक्षा के लिए आवेदन के पात्र नहीं हैं।
7.	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग / के.स.पु.ब. अभ्यर्थियों से ई-मेल / एस.एम.एस. के माध्यम से पत्राचार कर सकता है।

8.	देय शुल्क: 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र) । महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा) तथा आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिक (भू.सै.) श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है ।
9.	अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार ही अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग के ध्यान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी ।
10.	ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में स्कैन किए गए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने के तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए । फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) X 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए । फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए और उसमें सामने का चेहरा दिखाई देना चाहिए। यदि अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटो अपलोड नहीं किया जाता है, उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। स्वीकार्य / अस्वीकार्य फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध –III में दिए गए हैं । धुंधले / अपठनीय फोटोग्राफ / हस्ताक्षर वाले आवेदन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिए जाएंगे ।
11.	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिवास राज्य और जिला के बारे में जानकारी प्रदान करते समय बहुत सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आवेदन पत्र जमा करने के बाद आयोग द्वारा किसी भी परिस्थिति में राज्य और जिला के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा । यदि विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के समय अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अधिवास प्रमाणपत्र और ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा उल्लिखित जिला और/अथवा राज्य में कोई भिन्नता पाई जाती है तो, उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा और उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
12.	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिकता के क्रम में के. स.पु.बल/ संगठनों की वरीयता देते समय बहुत सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है । आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात वरीयता में किसी भी परिवर्तन के अनुरोध पर आयोग द्वारा किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा ।
13.	इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति दी गई है । इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय सावधानी बरतें। अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने के मामले में आयोग द्वारा सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी । यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है तथा परीक्षा में एक से अधिक बार बैठता (किसी भी स्तर पर) है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।
14.	ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदन के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है । एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन / सुधार के अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी माध्यम , जैसे – डाक, फैक्स, ई मेल, दस्ती आदि से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी और रद्द कर दिया जाएगा ।
15.	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाता है, तो इसे 'अंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा और आवेदन की स्थिति 'आवेदन प्राप्त हुआ (सामग्री सत्यापित नहीं)' के रूप में इंगित की जाएगी। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए । सामान्यतः आयोग / के.स.पु.ब. को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आउट भेजने की जरूरत नहीं है।

16.	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में हाल ही के दो पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो और फोटो लगा एक पहचान साक्ष्य, जैसे- आधार कार्ड / ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पैन कार्ड, विश्वविद्यालय / कॉलेज / सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, द्वारा जारी पहचान पत्र, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई भूपूसै की सेवा निवृत्ति पंजिका या केंद्र / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पहचानपत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि नहीं है तो अभ्यर्थी को जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल प्रमाणपत्र लाना होगा। प्रवेशपत्र में लिखित जन्मतिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचानपत्र / प्रमाणपत्र में लिखित जन्मतिथि में मेल न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
17.	किसी प्रतिष्ठित नाम / फोटो के दुरुपयोग से नकली / जाली आवेदन / पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी / साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर / आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
18.	अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि वे युद्ध बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया में उन्हें पूर्ण शारीरिक और मानसिक तैयारी के साथ भाग लेना चाहिए और वे, भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होनी वाली किसी भी घटना / दुर्घटना के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होंगे। भर्ती एजेंसी / केन्द्र ऐसी किसी अनपेक्षित घटना / दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। अभ्यर्थी इस भर्ती में अपने जोखिम पर ही भाग लेंगे।
19.	शारीरिक दक्षता परीक्षा / शारीरिक मानक परीक्षा तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा / पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा उनकी वेबसाइट https:// www.crfp.gov.in पर जारी / अपलोड किया जाएगा, जबकि कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेशपत्र कर्मचारी चयन आयोग की संबंधित वेबसाइट पर जारी / अपलोड किया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर पर प्रवेशपत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। अतः प्रवेशपत्र को सही समय पर डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को नियमित आधार पर के.रि.पु.बल की https://www.crfp.gov.in कचआ-मुख्यालय तथा क.च.आ. के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट को देखने की सलाह दी जाती है।
20.	अभ्यर्थी शारीरिक क्षमता परीक्षा / शारीरिक मानक परीक्षा तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा / पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा के प्रवेशपत्र से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए विशेष चयन बोर्ड (प्रकोष्ठ) भर्ती शाखा, ईस्ट ब्लॉक-7, लेवल -4, सेक्टर-01, आर के पुरम, नई दिल्ली- 110066 अथवा उनकी हेल्पलाईन संख्या 011-26160255 से संपर्क कर सकते हैं।
21.	प्रत्येक शारीरिक मानक परीक्षा केंद्र में शारीरिक मानक परीक्षा के लिए अपीलीय प्राधिकारी उपलब्ध होगा। यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक मानक परीक्षा बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट या सहमत नहीं होता है तो वह उसी दिन संबंधित भर्ती केंद्र में केवल पीठासीन अधिकारी के माध्यम से अपीलीय प्राधिकारी से अपील कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इसके बाद इस संबंध में आगे किसी अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। शारीरिक क्षमता परीक्षा (दौड़) के लिए कोई अपील स्वीकार्य नहीं होगी।
22.	यदि कोई भी अभ्यर्थी जानबूझ कर सिर की चोट (सूजन / फूलना) का बहाना करता है तथा ऊंचाई में विशेषाधिकार पाने के लिए सिर पर इमली रखता है तो भर्ती की आगे की प्रक्रिया के लिए इस तरह के अभ्यर्थियों को वारित कर दिया जाएगा।
23.	शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को यदि ऊर्जावान दवा के प्रभाव में पाया जाता है तो उसे भर्ती की आगे की प्रक्रिया के लिए वारित कर दिया जाएगा।

24.	अभ्यर्थी आवेदन भरने/जमा करने तथा कंप्यूटर आधारित परीक्षा से संबंधित यदि कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो निम्नलिखित क्षेत्रीय हेल्पलाईनों से संपर्क कर सकते हैं:	
(i)	हेल्प डेस्क (क.च.आ.-मु)	18003093063
(ii)	क.च.आ. (म.क्ष.), प्रयागराज	0532 2460511, 0532 6541021
(iii)	क.च.आ.(पू.क्ष.), कोलकाता	09477461228, 033 22902230
(iv)	क.च.आ. (के.क.क्ष.), बेंगलुरु	080 25502520, 09483862020
(v)	क.च.आ. (म.प्र.क्ष.), रायपुर	0771 2282507, 0771 2282678
(vi)	क.च.आ. (पूर्वो.क्ष.) गुवाहाटी	09085073593, 09085015252
(vii)	क.च.आ. (उ.क्ष.), नई दिल्ली	011 24363343
(viii)	क.च.आ. (पश्चि.क्ष.), चंडीगढ़	0172 2749378, 0172 2744366
(ix)	क.च.आ. (द.क्ष.), चेन्नई	09445195946, 044 28251139
(x)	क.च.आ. (प.क्ष.), मुंबई	09869730700, 07738422705
(xi)	के.रि.पु.बल हेल्पलाइन नंबर	011 26160255
25.	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर / अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों / उप क्षेत्रीय कार्यालयों में अभ्यावेदन जमा करना चाहिए।	
26.	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।	

अवर सचिव
कर्मचारी चयन आयोग, मुख्यालय
24-11-2023

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

- I. एक बारगी पंजीकरण
- II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:
 - क) मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)
 - ख) ई-मेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ग) आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद के चरणों में मूल दस्तावेज को दिखाना होगा)
 - i. वोटर आईडी कार्ड
 - ii. पैन
 - iii. पासपोर्ट
 - iv. ड्राइविंग लाइसेंस
 - v. स्कूल/कॉलेज आई डी
 - vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)
 - घ) मैट्रिक (10 वीं) परीक्षा उत्तीर्ण करने का बोर्ड, अनुक्रमांक और वर्ष के बारे में जानकारी।
 - ड) यदि आप किसी विशिष्ट दिव्यांगता से पीड़ित हैं, तो दिव्यांगता प्रमाण-पात्र संख्या।
3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, <http://ssc.nic.in> पर 'Log in' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।
4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
 - क) मूलभूत विवरण
 - ख) अतिरिक्त जानकारियां तथा संपर्क विवरण
 - ग) घोषणा।
5. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें:
 - क) सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमों में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं, तो इसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा और इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।

- ख) क्रम संख्या-1: आधार नम्बर / पहचान पत्र और इसके नंबर के बारे में जानकारी प्रदान करें। इन नंबरों में से कोई एक नंबर दिया जाना अपेक्षित है।
- ग) क्रम संख्या-2: अपना नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है। यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख 2ग और 2घ में करें।
- घ) क्रम संख्या-3: अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- ङ) क्रम संख्या-4: अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- च) क्रम संख्या-5: अपनी जन्मतिथि **ठीक वैसी ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।
- छ) क्रम संख्या-6: अपनी मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) का विवरण भरें जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- i. शिक्षा बोर्ड का नाम
 - ii. अनुक्रमांक
 - iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष
- ज) क्रम संख्या -7: लिंग का विवरण प्रदान करें।
- झ) क्रम संख्या- 8: शैक्षणिक योग्यता के स्तर (सर्वोच्च) की सूचना प्रदान करें।
- ञ) क्रम संख्या- 9: आपका मोबाइल नंबर, यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड/पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।
- ट) क्रम संख्या-10: आपका ईमेल आईडी, यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड/ पंजीकरण की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
- ठ) अपने स्थाई पते के राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें।
- ड) जब क्रम संख्या 1 से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपके डाटा को सहेजा जाएगा तथा आपके पंजीकरण संख्या को आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। आपका पंजीकरण आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
- ढ) आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।
- ण) अपनी पंजीकृत संख्या को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनेरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।

- त) पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड तथा पंजीकरण संख्या का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।
- थ) सफलतापूर्वक लॉगिन करने पर, आपके द्वारा अब तक भरे गए 'मूलभूत विवरण' के बारे में जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। यदि अपेक्षित हो तो आप इसमें संपादन कर सकते हैं अथवा अपना एक बारगी पंजीकरण पूरा करने के लिए नीचे दिए गए 'Next' बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं।
- द) क्रम संख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- ध) क्रम संख्या-12: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- न) क्रम संख्या-13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।
- प) क्रम संख्या-14: कृपया यदि कोई बेंचमार्क दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी विशिष्ट बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।
- फ) क्रम संख्या-15 से 18: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।
- ब) प्रदान की गई जानकारी को सहेजें। ड्राफ्ट प्रिंट-आउट ले तथा 'अंतिम सबमिट' से पहले, पंजीकरण प्रपत्र में प्रदान की गई जानकारी का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करें।
- भ) 'घोषणा' को ध्यान से पढ़ें और यदि आप घोषणा से सहमत हैं तो 'I Agree' पर क्लिक करें।
- म) 'अंतिम सबमिट' पर क्लिक करने पर विभिन्न ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको दोनों ओटीपी में से एक ओटीपी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में दर्ज करना होगा।
- य) मूलभूत सूचनाओं को प्रदान करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 'मूलभूत विवरण' बदला जा सकता है।

6. आपको पुनः सलाह दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

BASIC DETAILS

[Edit](#)

1a. Do you have Aadhaar ? * Yes No

1a. Aadhaar Number

1b. Verify Aadhaar Number

1c. Type of ID * ▼
Type of ID and ID Number to be provided if you don't want to give Aadhaar number

1d. ID Number *

2a. Name *
Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
 Please enter name without any salutation (i e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof)

2b. Verify Name *

2c. Have you ever changed Name? Yes No

2d. New Name / Changed Name

3a. Father's Name *
1.Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
 2.Please enter name without any salutation (i e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc)

3b. Verify Father's Name *

4a. Mother's Name *

SAMPLE MOTHER NAME

- 1.Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2.Please enter name without any salutation (i e Mrs/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc)

4b. Verify Mother's Name *

SAMPLE MOTHER NAME

5a. Date Of Birth (DD/MM/YYYY) *

02/08/2002

Date Of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate

5b. Verify Date of Birth (DD/MM/YYYY) *

02/08/2002

6. Matriculation (10th Class) Examination details :

(i). Education Board *

Central Board of Secondary Education (CBSE) ▼

Education Board of Matriculation Examination

(ii). Verify Education Board *

Central Board of Secondary Education (CBSE) ▼

(iii). Roll Number *

301739

1. Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s)
3. If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

(iv). Verify Roll Number *

301739

(v). Year of Passing *

2016 ▼

(vi). Verify Year of Passing *

2016 ▼

7a. Gender *	<input checked="" type="radio"/> Male <input type="radio"/> Female <input type="radio"/> Transgender
7b. Verify Gender *	<input checked="" type="radio"/> Male <input type="radio"/> Female <input type="radio"/> Transgender
8. Level of Educational Qualification *	Matriculation (10th) ▼
9a. Mobile Number *	8111111111
9b. Verify Mobile Number *	8111111111
10a. Email ID*	sample123@gmail.com
10b. Verify Email ID*	sample123@gmail.com
* State / UT of Permanent Address *	Punjab ▼

ADDITIONAL AND CONTACT DETAILS

Edit

11a. Category * General EWS OBC ST SC

11b. Verify Category * General EWS OBC ST SC

12. Nationality * Citizen of India

13. Identification Marks * MOLE ON RIGHT CHEEK

14a. Are you a Person with Benchmark Disability? * Yes No

14b. Type of Disability --Select--

NOTE
VH: Blindness and low vision.
HH: Deaf and hard of hearing.
OH: Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy.
Others: Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

14c. Disability Certificate Number

15a. Permanent Address * SAMPLE PERMANENT ADDRESS

15b. State/ UT * Punjab

15c. District * Patiala

15d. PIN Code * 140401

16. Is Present Address same as Permanent Address? Yes No

17a. Present Address * SAMPLE PERMANENT ADDRESS

17b. State/ UT * Punjab

17c. District * Patiala

17d. PIN Code * 140401

18. Contact details for other nationals

Previous Save Next Reset Close

DECLARATION

Declaration : I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/appointment is liable to be cancelled/terminated.

I Agree.

Previous

Take Draft Print

Final Submit

Close

भाग-II (ऑनलाईन आवेदन फॉर्म)

1. ऑनलाईन आवेदन भरने से पहले, निम्नलिखित डेटा तैयार रखें:-
 - क. जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में हाल ही का स्कैन किया हुआ नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ (अर्थात परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने के तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए)। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए और उसमें दोनों कान दिखाई देने चाहिए। फोटोग्राफ के नमूने जो स्वीकार्य/अस्वीकार्य हैं, अनुबंध-III में दिए गए हैं। धुंधली/अपठनीय तस्वीर/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
 - ख. जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। **अस्पष्ट हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।**
 - ग. योग्यता शैक्षणिक योग्यता जैसे उत्तीर्ण वर्ष, रोल नंबर, प्रतिशत / सीजीपीए, बोर्ड का नाम आदि का विवरण यहां दिया गया है।
2. अपने 'पंजीकरण-संख्या' और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाईन सिस्टम में लॉगिन करें।
3. 'Latest Notification' टैब के अंतर्गत **‘केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल(सामान्य ड्यूटी) और असम राइफलस में राइफलमैन(सामान्य ड्यूटी) परीक्षा, 2024’** सेक्शन के ‘Apply’ लिंक पर क्लिक करें।
4. क्रम सं.-1 से 13 पर कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तथापि, यदि आप एकबारगी पंजीकरण ब्योरे में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो अपने लॉग-ईन स्क्रीन के बाएं हाथ के ऊपरी कोने में प्रदान की गई **‘Modify Registration’** टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपर्युक्त संशोधन कर लें।
5. क्र.स.-14: यदि आप एक भूतपूर्व सैनिक (भूपुसै) हैं या सशस्त्र बल में सेवारत हैं, तो वांछित जानकारी भरें। भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है और इसलिए उन्हें 'No' का चयन करना चाहिए।
6. क्र.स.-15.1: यदि आप आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो 'Yes' का चयन करें और क्रमांक-15.2 में उपयुक्त आयु-छूट श्रेणी का चयन करें।
7. क्र.स.-16.1: यदि आप एनसीसी प्रमाणपत्र धारक हैं तो 'Yes' का चयन करें और क्रमांक संख्या-16.2 में एनसीसी प्रमाणपत्र का विवरण प्रदान करें।
8. क्र.स.-17: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप उसी क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। तीनों केंद्रों के लिए विकल्प, वरीयता क्रम में दिया जाना चाहिए।
9. क्र.स.-18: कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु माध्यम के बारे में जानकारी प्रदान करें।
10. क्र.स.-19 एवं 20: अपना अधिवास राज्य / संघ राज्य क्षेत्र और अधिवास जिले का चयन करें। चूंकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और असम राइफलस में राइफलमैन (सामान्य ड्यूटी) के पद के लिए रिक्तियां अधिवास आधारित हैं और रिक्तियां सीमावर्ती जिलों और

नक्सल/आतंकवाद से प्रभावित जिले के लिए भी आरक्षित हैं, इसलिए आपको केवल क्रम संख्या-19 और 20 में आपके द्वारा उल्लिखित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिले से ही माना जाएगा। आपको दस्तावेज़ सत्यापन के समय क्रमांक-19 और 20 में आपके द्वारा निर्दिष्ट राज्य / संघ राज्य क्षेत्र और जिले का अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आपके द्वारा क्रम संख्या-19 और 20 में उल्लिखित अधिवास राज्य / संघ राज्य क्षेत्र व जिले और दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत अधिवास प्रमाण पत्र में उल्लिखित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र व जिले के बीच अगर कोई विसंगति मिलती है तो आपकी अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएगी।

11. क्र.स.-21: यदि आप अजा/अजजा/अपिव श्रेणी से संबंधित हैं और अपने मूल राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में चले गए हैं, तो आपके पास अपने मूल राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र से आरक्षण का लाभ उठाने का विकल्प है अथवा आपको वर्तमान अधिवास राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की रिक्तियों के प्रतिकूल अनारक्षित/ आकव अभ्यर्थी माना जाएगा। अपना सुविचारित निर्णय लें और तदनुसार इस कॉलम में जानकारी भरें।
12. क्र.स.-22: हां, यदि आप अनुबंध-XII में उल्लिखित आतंकवाद/नक्सल प्रभावित जिलों से संबंधित हैं।
13. क्र.स.-23: हां, यदि आप अनुबंध -XI में उल्लिखित सीमावर्ती जिलों से संबंधित हैं।
14. क्र.स.-24: कें. स. पु. ब./ संगठनों की अपनी वरीयता दें। **सभी सात विकल्पों को भरना अनिवार्य हैं।**
15. क्रम संख्या-25: कृपया अपनी उच्चतम योग्यता इंगित करें।
16. क्रम संख्या-26: अर्हक शैक्षणिक योग्यता का विवरण भरें।
17. क्रम संख्या-27: कृपया परीक्षा-विज्ञप्ति का पैरा संख्या-19 देखें और तदनुसार भरें।
18. क्रम संख्या-28 एवं 29: वर्तमान तथा स्थायी पता से संबंधित सूचना एक बारगी पंजीकरण डाटा से स्वतः भर जाएगी।
19. **उपरोक्त क्रमांक-1क में निर्दिष्टानुसार अपना हाल का फोटोग्राफ (परीक्षा की विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं) अपलोड करें।** स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-III में दिए गए हैं। धुंधली/अस्पष्ट फोटोग्राफ /हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
20. उपर्युक्त क्रम सं. 1ख के निर्देशानुसार अपना हस्ताक्षर अपलोड करें। **धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।**
21. क्रम संख्या-30: यदि अपलोड की गई फोटोग्राफ की तिथि, परीक्षा की विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 3 महीने से कम पुरानी नहीं है तो 'हां' पर क्लिक करें, ।
22. घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यदि स्वीकार है तो “मैं सहमत हूँ” चेक बॉक्स पर क्लिक करें। कैप्चा कोड भरें।
23. आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें। **यदि आप किसी भी प्रविष्टि में कोई संशोधन करना चाहते हैं तो “Edit/Modify” बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले अपेक्षित संशोधन कर लें।** जब आप संतुष्ट हो जाएं कि जानकारी सही भरी गई है, जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें और आवेदन जमा करें। **आवेदन जमा करने के पश्चात आप ऑनलाईन आवेदन में कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे।**
24. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
25. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई,नेट बैंकिंग अथवा वीसा,मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन किया जा सकता है। शुल्क भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा-विज्ञप्ति के पैरा-9 का संदर्भ लें।

26. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा और आवेदन की स्थिति 'आवेदन प्राप्त (विषयवस्तु सत्यापित नहीं)' के रूप में इंगित की जाएगी। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए। किसी भी स्तर पर आयोग को 'आवेदन पत्र' का प्रिंट-आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, आपको ऑनलाइन आवेदन से संबंधित शिकायतों, यदि कोई हो, को संबोधित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र का प्रिंट-आउट देना होगा।

CONSTABLES (GD) IN CENTRAL ARMED POLICE FORCES (CAPFs), NIA, SSF, RIFLEMAN (GD) IN ASSAM RIFLES EXAMINATION, 2024

Instructions

PLEASE BE VERY CAREFUL WHILE FILLING THE APPLICATION FORM

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)	ADITYAINOPXC
2. New / Changed Name:	ADITYAIXNOPXC
3. Father's Name:	TESTDLLINOPXC
4. Mother's Name:	TESTLDINOPXC
5. Date of Birth (DD/MM/YYYY)(as per Matriculation Certificate):	02/04/2003
6. Age as on 01/01/2024:	20.8
7. Gender:	Male
8. Category:	SC
9. Nationality:	Citizen of India
10. Mark of Visible Identification:	MOLEIYX
11. Matriculation (10 th Class) Examination Board:	Goa Board of Secondary And Higher Secondary Education
12. Matriculation (10 th Class) Roll No.:	1234INOPX
13. Matriculation (10 th Class) Year of Passing:	2010
14.1. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? :*	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
14.2. Date of Joining the Armed Forces (DD/MM/YYYY):	
14.3. Date of Discharge/ Tentative Date of Discharge from the Armed Forces (DD/MM/YYYY):	
14.4. Length of Service in the Armed Forces:	
14.5. Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM) :	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Please refer to the Notice of Examination, Para-5.3	
14.6. Date of Joining to Civil Post (DD/MM/YYYY):	
15.1. Whether seeking Age Relaxation? :*	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
15.2. If Yes, Age Relaxation code: Please see Para - 5.1 of the Notice	01-SC/ST

16.1. Are you a National Cadet Corps (NCC) Certificate holder? : * Yes No

16.2. Type of the NCC Certificate: *

Verify Type of the NCC Certificate:

17. Preference of Examination Centres: *

[Please refer para 11 of the Notice](#)

18. Medium for Computer Based Examination (CBE): *

Verify Medium for Computer Based Examination (CBE):

19. State/ UT of Domicile:

Verify State/ UT of Domicile:

20. District of Domicile:

Verify District of Domicile:

21.1. Have you migrated from the State/ UT of your Origin to another State/ UT?: * Yes No

21.2. Whether you would like to avail the benefit of reservation from the State/ UT of your Origin?:[If you select 'No', you will be considered in 'UR/ EWS' category from the State/ UT of Domicile filled in your application]* Yes No

21.3. State/ UT of Origin:
[Please see Para - 6.2 of the Notice](#)

21.4. District of Origin:
[Please see Para - 6.2 of the Notice](#)

22. Candidate belongs to Militancy/ Naxal affected District? : * Yes No

23. Candidate belongs to Border District? : * Yes No

24. Preference of posts for CAPFs / Organizations: *

Verify Preference of posts for CAPFs / Organizations:

25. Highest Educational Qualification: *

26. Details of Qualifying Educational Qualification: *

Status	Passing Year	State/ UT of Board/ University	Name of Board/ University	Roll No	Percentage	CGPA
<input type="text" value="Passed"/>	<input type="text" value="2010"/>	<input type="text" value="Goa"/>	<input type="text" value="Goa Board of Secondary"/>	<input type="text" value="1234INOPX"/>	<input type="text" value="82"/>	<input type="text"/>

27. Do you want to make your personal information Yes No

available for accessing job opportunities in terms of

DoP&T's OM.No.39020/1/2016-Estt.(B) dated

21/06/2016? *

[Please see Para - 19 of the Notice](#)

28. Correspondence Address: Address

State: Delhi

District: North East Delhi

Pin: 110011

29. Permanent Address 3132

State: Andhra Pradesh

Pin: 510011

Mobile Number: 9081230950

Email: adityaxix@gmail.com

Photograph and Signature

Upload a photograph without
Spectacles/Cap taken on or after

24-August-2023*


Allowed File Size: 20 KB to 50 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 3.5 cm (width) x 4.5

cm (height)

Your Image.jpg



Upload Signature (Signature should
not be blurred) *

Allowed File Size: 10 KB to 20 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 4.0 cm (width) x 2.0

cm (height)

Test Sign.jpg



30. Whether the photograph has been taken on or after Yes No

24-August-2023?:

Declaration

1. I have read the Notice of Examination and accept all the Terms & Conditions mentioned therein.
2. I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found suppressed/ false or incorrect at any stage or ineligibility being detected before or after the Examination, my candidature/ appointment is liable to be cancelled. I am willing to serve anywhere in India.
3. I declare that the photograph uploaded in the Application Form has been taken on or after the stipulated dated.
4. I agree to authorize SSC to use my Aadhaar data for verification purpose.*

*Verification will be subject to authorization from competent authority.

I Agree



Try Another

NNAZZ

Preview

Reset

Close

फोटोग्राफ के नमूने

स्वीकार्य फोटोग्राफ



अस्वीकार्य फोटोग्राफ के नमूने

अत्यधिक रंगीन



बहुत समीप



टोपी के साथ



धुंधले फोटोग्राफ



उल्टा



गहरे रंग का



धूप वाले चश्मे के साथ



एक तरफ चेहरा (तिरछा)



बहुत छोटा



चश्मे के साथ



सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार.....(नंबर).....(रैंक).....
(नाम)(दिनांक)को सशस्त्र बल में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

स्थान:

(कमांडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक:

कार्यालय की मुहर:

नियोजित कार्मिकों के लिए प्रमाण- पत्र प्रोफार्मा

1. यह सूचित किया जाता है कि (यूनिट/कार्यालय) में..... (रैंक) के रूप में कार्यरत श्री/ श्रीमती/ कुमारी. ने (भर्ती एजेंसी का नाम) द्वारा विज्ञापन संख्या दिनांक..... के अनुसार विज्ञापित के पद के लिए आवेदन किया है।

2. मैं एतद्वारा उपलब्ध जानकारी के आधार पर, श्री/ श्रीमती /कुमारी..... (नाम) संख्या..... (रैंक) के संबंध में निम्नानुसार सत्यापन करता/करती हूँ कि :-

- i) वह (दिनांक) को अन्य शर्तों के अधीन, भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त करने के लिए..... वर्ष(शब्दों में) की निर्धारित अवधि पूरी कर लेगा/लेगी। श्री/श्रीमती/कुमारी सैन्य सेवा छोड़ने के समय सेवा के वर्ष (शब्दों में) पूरा कर लेंगे/लेंगी।
- ii) पदों पर चयन होने पर उन्हें सेवामुक्त कर दिया जाएगा ।

कमांडिंग अधिकारी

(हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

परिशिष्ट-V(क)

भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत सिविल पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने वाले

वचन-पत्र का प्रपत्र

मैं यह समझता/समझती हूँ कि जिस भर्ती/परीक्षा से यह आवेदन संबंधित है, यदि उसके आधार पर मेरा चयन होता है, तो मेरी नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु मेरे द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन होगी कि मुझे सशस्त्र बल से विधिवत कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त/सेवामुक्त कर दिया गया है और यह कि मैं समय-समय पर संशोधित भूतपूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल और डाक सेवाओं में पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 के अनुसार पूर्व सैनिकों के लिए अनुमत लाभों का/की हकदार हूँ।

2. मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण संस्थान के दिनांक 14.8.2014 के का.ज्ञा. सं..36034/1/2014-स्था.(रेज.) के अनुसार, सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों और जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है, उत्तरवर्ती नियोजन हेतु भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता/सकती हूँ,

यदि मैंने सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद उन विभिन्न रिक्तियों, जिनके लिए मैंने प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि-वार विवरण से संबंधित नियोक्ता को मुझे करना चाहिए / वचन देना चाहिए।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता(या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रतिलिपि।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*.....
पुत्र/पुत्री.....निवासी ग्राम/कस्बा*
जिला/संभाग*.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*.....के
जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950.....
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950.....
संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*.....
संविधान (अनुसूचित जनजाति)संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*.....

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956.....
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित
संविधान(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@
संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@
संविधान(गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@
 संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
 संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
 संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
 संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
 संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,1990@
 संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1991@
 संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@
 संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*के माता/पिता
 श्री/श्रीमती.....निवासी ग्राम/कस्बा*.....
जिला/संभाग*.....राज्य/संघ
 राज्य क्षेत्र*..... को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति
 प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जोजाति/जनजाति से संबंधित हैं
 जो.....दिनांक.....द्वारा जारी
 राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी.....और/या* उनका परिवार सामान्यतः
 ग्राम/कस्बा*.....जिला/संभाग*.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....में
 रहता है।

हस्ताक्षर.....

**पदनाम.....

स्थान.....

दिनांक.....

(कार्यालय की मुहर सहित)

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है।

**जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
- (iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अफसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी :- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गोंद्वारा प्रस्तुत किए जाने वाल प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि.....

पुत्र/पुत्री ग्राम जिला/संभाग
.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के समुदाय से
संबंधित हैं जो दिनांक-----संकल्प सं.-----सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के
अधीन पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/श्रीमती/कु०.....तथा/या उनका परिवार सामान्यतः
.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के जिला/संभाग में
रहता/रहते हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.36012/22/93-स्था. -(एससीटी), दिनांक 8.9.1993** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

जिलाधीश या _____
उपायुक्त आदि. _____

दिनांक:

मुहर:

*प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा का उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है।

* समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त सामान्यतः शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है।

..... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या _____

दिनांक _____

वर्ष लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी
 _____ स्थायी निवासी _____ गाँव/गली _____ डाकघर
 _____ जिला _____ राज्य / संघ राज्य-क्षेत्र
 _____ पिन कोड _____ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से
 कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष के लिए उनकी /उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय*
 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
 - II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय प्लैट;
 - III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
 - IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड ।
2. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ का संबंध _____ जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.....

नाम

पदनाम.....

अभ्यर्थी के हाल ही का पासपोर्ट
 आकार अनुप्रमाणित फोटोग्राफ

* टिप्पणी 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय ।

** टिप्पणी 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहनके साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे ।

*** टिप्पणी 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है ।

लंबाई अथवा सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री -----पुत्र
श्री-----
ग्राम-----
तहसील/तालुका-----जिला-----राज्य
के स्थायी निवासी हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :

* गढ़वाली, कुमायूनी, डोगरा, मराठा की श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित अभ्यर्थी।

* पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा, एवं दार्जिलिंग जिले के तीन जिलों नामतः दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुरसियोंग सहित गोरखा प्रादेशिक प्रशासन(जीटीए) की श्रेणी में आने वाले इन जिलों में निम्नलिखित "मोजास" उप-मण्डल शामिल हैं:

(1) लोहागढ़ चाय बागान (2) लोहागढ़ वन (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटा आदलपुर (7) पहारू (8) सुकना वन (9) सुकना भाग-1 (10) पंतापती वन-1 (11) महानदी वन (12) चम्पासरी वन (13) सलवारी छाट भाग-11 (14) सितोंग वन (15) सिवोक हिल वन (16) सिवोक वन (17) छोटा चेंगा (18) निपानिया

हस्ताक्षर

जिला मजिस्ट्रेट/उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

दिनांक :

स्थान :

* जो भी लागू नहीं हो उसे काट दें।

(राज्य / संघ राज्य क्षेत्र कोड)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कोड	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	कोड
अंडमान और निकोबार द्वीप समीह	01	लक्ष्यद्वीप	19
आंध्र प्रदेश	02	मध्यप्रदेश	20
अरूणाचल प्रदेश	03	महाराष्ट्र	21
असम	04	मणिपुर	22
बिहार	05	मेघालय	23
चंडीगढ़	06	मिजोरम	24
छत्तीसगढ़	07	नागालैंड	25
दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं द्वीव	08	ओडिशा	26
दिल्ली	10	पुडुचेरी	27
गोवा	11	पंजाब	28
गुजरात	12	राजस्थान	29
हरियाणा	13	सिक्किम	30
हिमाचल प्रदेश	14	तमिलनाडु	31
जम्मू एवं कश्मीर	15	तेलेंगाना	32
झारखंड	16	त्रिपुरा	33
कर्नाटक	17	उत्तर प्रदेश	34
केरल	18	उत्तराखंड	35
लद्दाख	37	पश्चिम बंगाल	36

सीमावर्ती जिलों की सूची:-

क्रम संख्या	राज्य	सीमावर्ती जिले
1.	असम	धुबरी
2.		कछार
3.		करीमगंज
4.		कोकराझार
5.		दक्षिण शालमारा मानकाचर
6.		चिरांग
7.		बाक्सा
8.		उदालगुड़ी
9.		तामुलपुर
10.	अरुणाचल प्रदेश	तिरप
11.		चांगलांग
12.		लोगडिंग
13.		तावांग
14.		पश्चिम कामेंग
15.		पूर्वी कामेंग
16.		उपरी सोवनसिरि
17.		कुरुंग कुर्मे
18.		करा डाडी
19.		शि योमी सियांग
20.		सियांग
21.		उपरी सियांग
22.		निचली दिवांग
23.		दिवांग घाटी
24.	अंजॉ	
25.	बिहार	पश्चिम चम्पारण
26.		पूर्वी चम्पारण
27.		सीतामढ़ी
28.		मधुबनी
29.		सुपौल
30.		अररिया
31.		किशनगंज
32.	गुजरात	कच्छ
33.		बानसकाण्ठा
34.		पाटन

35.	हिमाचल प्रदेश	लहाऊल तथा स्पिति
36.		किन्नौर
37.	जम्मू एवं कश्मीर	कुपवाडा
38.		बारामूला
39.		बांदीपुर
40.		पुंछ
41.		राजौरी
42.		जम्मू
43.		कठुआ
44.		सांबा
45.	लद्दाख	लेह
46.		कारगिल
47.	मणिपुर	उखरूल
48.		चंडेल
49.		चुराचांदपुर
50.		कांमजोग
51.		टेगनोपॉल
52.	मेघालय	पश्चिम गारो हिल्स
53.		पश्चिम जयंतिया हिल्स
54.		पूर्वी खासी हिल्स
55.		पूर्वी जयंतिया हिल्स
56.		दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स
57.		दक्षिण गारो हिल्स
58.		दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स
59.	मिजोराम	चमपाई
60.		लवांगतलाई
61.		साईहा
62.		सरछिप
63.		ह्वात्थिअल
64.		सैतुअल
65.		खावजॉल
66.		ममित
67.	लुंगली	
68.	नागालैंड	पेक
69.		किफायर
70.		मोन
71.		ट्वेनसांग
72.		नोकलाक

73.	पंजाब	गुरदासपुर
74.		पठानकोट
75.		अमृतसर
76.		फिरोजपुर
77.		तरन-तारन
78.		फाजिल्का
79.	राजस्थान	श्रीगंगानगर
80.		बिकानेर
81.		जैसलमेर
82.		बाड़मेर
83.	सिक्किम	पैकयोंग
84.		सोरेंग
85.		ग्यालसियांग (पश्चिमी जिला)
86.		मंगन (पूर्वी सिक्किम)
87.		गंगटोक (उत्तरी सिक्किम)
88.	त्रिपुरा	उत्तरी त्रिपुरा
89.		पश्चिम त्रिपुरा
90.		दक्षिण त्रिपुरा
91.		ढलाई
92.		ऊनाकोटी
93.		खवाई
94.		सेपाहीजाला
95.		गोमाटी
96.		दक्षिण 24 परगना
97.	उत्तर 24 परगना	
98.	पश्चिम बंगाल	नदिया
99.		मुर्शिदाबाद
100.		मालदा
101.		दक्षिण दिनाजपुर
102.		उत्तर दिनाजपुर
103.		दार्जिलिंग
104.		जलपाईगुड़ी
105.		कूचबिहार
106.		अलिपुरद्वार
107.		कालिमपोंग
108.	उत्तराखंड	उत्तरकाशी
109.		चमौली
110.		पिथोरागढ़


111.		चम्पावत
112.		उधमसिंह नगर
113.	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत
114.		लखीमपुर खेरी
115.		बहराइच
116.		श्रावस्ती
117.		बलरामपुर
118.		सिद्धार्थनगर
119.		महाराजगंज

(उग्रवाद / नक्सल प्रभावित जिलों की सूची)

क्र. स.	राज्य	जिलों की संख्या	जिलों के नाम
1	आंध्र प्रदेश	05	पूर्वी गोदावरी, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, अल्लूरी सीताराम राजू, पार्वतीपुरम मान्यम
2	बिहार	10	औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमर, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, रोहतास, पश्चिमी चंपारण,
3	छत्तीसगढ़	14	बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धन्तरी, गरियाबंद, काकेर, कोडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, राजनंदगांव, सुकमा, कबीरधाम, मुंगेली
4	झारखंड	16	बोकारो, छत्र, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंगभूम, गरवा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंती, लतेहार, लोहरडगा, पलमू, रांची, सिमडेगा, सरायकेला- खरसवान, पश्चिमी सिंगभूम
5	केरल	03	मल्लापुरम, पलक्कड, वायानाड
6	मध्य प्रदेश	03	बालाघाट, मंडला, दिंदोरी
7	महाराष्ट्र	02	गढ़चिरोली, गोंदिया
8	उड़ीसा	10	बारंगढ़, बालगीर, कालाहांडी, कोदमल, कोरापुट, मलकनगिरी, नवरंगपुर, नुआपडा, रयागडा और सुंदरगढ़
9	तेलंगाना	06	आदिलाबाद, भद्राद्री-कोठागुडम, जयशंकर-भूपालपल्ली, कुमारम-भीम, मंचेरियाल, मुलुगु
10	पश्चिम बंगाल	01	झारग्राम
	कुल योग	70	
11	अरुणाचल प्रदेश	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
12	असम	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
13	जम्मू और कश्मीर	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
14	लद्दाख	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
15	मणिपुर	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
16	मेघालय	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
17	मिजोरम	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
18	नागालैंड	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
19	त्रिपुरा	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
	कुल योग	9	

(पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए जन्म/पहचान प्रमाणपत्र)

सरपंच/नंबरदार/नायब तहसीलदार का कार्यालय.....



जम्मू और कश्मीर/ लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों में निवास कर रहे पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी के लिए पहचान पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री..... पूर्व में अविभाजित भारत (वर्तमान पाकिस्तान केगांव.....तहसील जिला के रहने वाले वर्तमान में मकान संख्या गली/लेन संख्या..... मोहल्ला..... गांव.....तहसील जिला में रह रहे है, जो 1947 के भारत पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान से प्रवास करने के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी हैं।

सरपंच/नम्बरदार/नायब तहसीलदार